[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या–2 एच०एल०ए०

पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2025

पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. यह अधिनियम पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,– 2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 2 का संशोधन।

(i) उप–धारा (1) के खण्ड (ब) में, "नगर निगम, पंचकूला" शब्दों तथा चिह्न के बाद, "तथा नगर परिषद्, कालका" शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे; तथा

(ii) उप–धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(2) इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) या हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) या हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) या हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) या हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) में परिभाषित और इस अधिनियम से अन्असंगत, शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें क्रमशः उस अधिनियम में दिए गए हैं।"।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:– 2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 3 का संशोधन।

"(कक) नगर परिषद्, कालका;"।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 में,– 2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 5 का संशोधन।

(i) खण्ड (छ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(छछ) अध्यक्ष, नगर परिषद्, कालका, पदेन सदस्य;";

(ii) खण्ड (त) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(तत) जिला नगर आयुक्त, पंचकूला, पदेन सदस्य;"।

2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 11 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (2) के खण्ड (क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(कक) जिला नगर आयुक्त, पंचकूला, पदेन सदस्य;"।

2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 15 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 15 में, "(1963 का पंजाब अधिनियम 41)" कोष्ठकों, अंकों तथा शब्दों के बाद, "तथा हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1)" शब्द, कोष्ठक, चिह्न तथा अंक रखे जाएंगे।

2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 17 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 17 की उप–धारा (1) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु ऐसी अवसंरचना योजना, हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 5 की उपधारा (7) तथा हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 4 के अधीन प्रकाशित अन्तिम योजनाओं के अनुरूप होगी।"।

2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 21 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 21 में,–

(i) उप–धारा (1) में, "उपायुक्त, पंचकूला" शब्दों तथा चिह्न के बाद, ",जिला नगर आयुक्त, पंचकूला" शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे;

(ii) उप–धारा (2) के खण्ड (च) में, "पुलिस आयुक्त, पंचकूला" शब्दों तथा चिह्न के बाद, ",जिला नगर आयुक्त, पंचकूला" चिह्न तथा शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उप–धारा (6) में, "पुलिस आयुक्त, पंचकूला" शब्दों चिह्न तथा के बाद, ",जिला नगर आयुक्त, पंचकूला" चिह्न तथा शब्द रखे जाएंगे; तथा

(iv) उप–धारा (7) में, "(1994 का 16)" कोष्ठकों, अंकों तथा शब्द के बाद, "तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 172 के अधीन नगर परिषद्, कालका" शब्द, चिह्न, अंक तथा कोष्ठक रखे जाएंगे।

2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 23 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 23 में,–

(i) उप–धारा (1) में, "नगर निगम आयुक्त, पंचकूला" शब्दों तथा चिह्न के बाद, ",जिला नगर आयुक्त, पंचकूला" शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे; तथा

(ii) उप–धारा (7) में, "नगर निगम, पंचकूला" शब्दों तथा चिह्न के बाद, "या नगर परिषद्, कालका" शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे।

10. मूल अधिनियम की धारा 25 के खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 25 का संशोधन।

"(छ) सुनिश्चित करना कि क्या हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 5 की उपधारा (7) या हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 4 के अधीन प्रकाशित अन्तिम विकास योजना या निबन्धनों तथा शर्तों, जिनके अधीन उक्त अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन विकास अनुमत किया गया है, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार किसी भूमि या सम्पत्ति को विकसित किया जा रहा है या किया गया है;"।

11. मूल अधिनियम की धारा 33 की उप–धारा (1) में,— 2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 33 का संशोधन।

(i) खण्ड (घ) में, "नगर निगम, पंचकूला" शब्दों तथा चिह्न के बाद, "तथा नगर परिषद्, कालका" शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे; तथा

(ii) खण्ड (ङ) में, "नगर निगम, पंचकूला" शब्दों तथा चिह्न के बाद, "तथा नगर परिषद्, कालका" शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे।

12. मूल अधिनियम की धारा 42 की उप–धारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— 2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 42 का संशोधन।

"(4) प्राधिकरण, हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 7 की उपधारा (1) तथा (1क) के अधीन तथा हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 11 के अधीन भुगतानयोग्य परिवर्तन प्रभार प्राप्त करेगा।"।

13. मूल अधिनियम की धारा 53 में, "(1963 का पंजाब अधिनियम 41)" कोष्ठकों, अंकों तथा शब्दों के बाद, ",हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पंजाब अधिनियम 1)" शब्द, कोष्ठक, चिह्न तथा अंक रखे जाएंगे। 2021 के हरियाणा अधिनियम 23 की धारा 53 का संशोधन।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण निवासियों को जीवन की गुणवत्ता तथा जीवन के युक्तियुक्त मानक मुहैया कराने, समेकित तथा समन्वित योजना, अवसरंचना विकास, शहरी सुख-- सुविधाओं की व्यवस्था, प्रबन्धन गति शीलता, शहरी पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के सतत प्रबन्धन मुहैया कराने के लिए पंचकूला का निरन्तर, सतत तथा संतुलित विकास के विजन का विकास करने के लिए पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के अधीन बनाया गया था। यह शहरी एकगीकरण का शीघ्रता से विस्तार करने के रूप में पंचकूला की आपातिक परिस्थिति में स्थानीय प्राधिकारियों के समन्वय से शहरी शासन तथा समर्पण संरचना को सुधारने का प्रयास करेगा।

अधिनियम की धारा 15 हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पॅजाब अधिनियम 41) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना, हरियाणा की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को समर्थ बनाती है किन्तु जैसाकि प्राधिकरण का अधिकांश क्षेत्र हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण अधिनियम, 1952 (1953 का पॅजाब अधिनियम 1) के अधीन घोषित नियन्त्रित क्षेत्र के भाग में पड़ता है, इसलिए 1953 के अधिनियम--1 के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना, चण्डीगढ़ की शक्तियों का निर्बाध रूप से तथा उचित रूप से कार्य करने के लिए प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रयोग की जानी अपेक्षित भी है। इसके अतिरिक्त, मूल अधिनियम में केवल नगर निगम पंचकूला वर्णित है जबकि क्षेत्र में नगर पालिका परिषद, कालका के क्षेत्र की सीमाएं भी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आती हैं।

अतः यह विधेयक है।

नायब सिंह सैनी,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 6 मार्च, 2025

डॉ० सतीश कुमार,
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 6 मार्च, 2025 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम–2021 (2021 का अधिनियम 23) से उद्धरण

परिभाषाएं 2 (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) से (फ) xxxxxx

(ब) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "नगरीय क्षेत्र" में नगर निगम, पंचकूला की परिधि में ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है जो राज्य सरकार की राय में नगरीयकृत होना संभाव्य है।

(भ) से (म) xxxxxx

(2) इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) या हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8), या हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों और इस अधिनियम से अनअसंगत हैं, के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें क्रमशः उस अधिनियम में दिए गए हैं।

पंचकूला महानगर क्षेत्र की घोषणा 3 (1) xxxxxx

(क) नगर–निगम पंचकूला

(ख) xxxxxx

(2) व (3) xxxxxx

प्राधिकरण का गठन 5. प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगा, अर्थातः–

(क) से (च) xxxxxx

(छ) नगर–निगम पंचकूला का महापौर, पदेन सदस्य;

(ज) नगर–निगम पंचकूला का वरिष्ठ महापौर, पदेन सदस्य;

(झ) से (ण) xxxxxx

(त) आयुक्त, नगर–निगम पंचकूला, पदेन सदस्य;

(थ) पुलिस आयुक्त, पंचकूला, पदेन सदस्य;

(द) व (ध) xxxxxx

निवासी सलाहकार परिषद

11. (1) xxxxxx

(2) (क) आयुक्त, नगर–निगम पंचकूला, पदेन सदस्य;

(ख) से (छ) xxxxxx

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली निदेशक की शक्तियां

15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिसूचित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) के अधीन निदेशक को प्रदत्त की गई हैं।

अवसंरचना विकास योजना

17. 1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इस अधिनियम के प्रारम्भ से नौ मास की अवधि के भीतर और उसके बाद ऐसे अंतरालों, जो विहित किए जाएं, पर ऐसे परामर्श, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, करने के बाद, अधिसूचित क्षेत्र के लिए अवसंरचना विकास योजना तैयार करेगा।

परन्तु ऐसी अवसंरचना विकास योजना, हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उपधारा (7) के अधीन प्रकाशित अन्तिम योजना के अनुरूप होगी।

(2) से (6) xxxxxx

गतिशील प्रबन्धन योजना

21 (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुलिस आयुक्त, पंचकूला, नगर निगम आयुक्त, पंचकूला, उपायुक्त, पंचकूला के परामर्श से तथा ऐसे अन्य परामर्शों के बाद, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठीक समझे, अधिसूचित क्षेत्र में गतिशील प्रबन्ध करने के लिए समय–समय पर, गतिशील प्रबन्धन योजना तैयार करेगा।

(2) गतिशील प्रबंधन योजना में शामिल होगा–

(क) से (ड़) xxxxxx

(च) ऐसे अन्य उपाय, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुलिस आयुक्त, पंचकूला तथा नगर निगम आयुक्त, पंचकूला की राय में, अधिसूचित क्षेत्र में गतिशील प्रबन्धन के लिए अपेक्षित हों।

(3) से (5) xxxxxx

(6) पुलिस आयुक्त, पंचकूला, नगर निगम आयुक्त, पंचकूला, या ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे प्रयोजन के लिए विधि के अधीन सशक्त किया जाए, तत्समय लागू ऐसी विधि के उल्लंघन के लिए किसी शास्ति के अधिरोपण की अपेक्षा

करते हुए उपधारा (2) के खण्ड (घ) तथा (ङ) के सम्बन्ध में उपायों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेवार होगा।

(7) हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), की धारा 221 के अधीन नगर निगम आयुक्त, पंचकूला द्वारा शक्तियों का प्रयोग गतिशील प्रबन्धन योजना के अनुसार किया जाएगा।

स्थायी पर्यावरण प्रबन्धन के लिए योजना

23. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वन संरक्षक, उपायुक्त, पंचकूला, नगर निगम आयुक्त, पंचकूला तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठीक समझे, के परामर्श से, समय–समय पर, अधिसूचित क्षेत्र के नगरीय पर्यावरण के स्थायी प्रबन्धन के लिए योजना तैयार करेगा।

(2) से (6) xxxxxx

(7) स्थायी पर्यावरण प्रबन्धन के लिए योजना के अनुमोदन पर, नगर निगम, पंचकूला या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, अधिसूचित क्षेत्र में लागू नगर निगम या हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, की भवन उपविधियों में जल संरक्षण, अपजल को दोबारा उपयोग में लाना, वर्षा जल एकत्र करना, छत के शीर्ष भाग पर सोलर उर्जा के उपबंध करना, जैसी भी स्थिति हो, सहित किन्तु असीमित ऐसे उपायों, जो भवनों के सन्निर्माण से संबंधित हों, को शामिल करेगा।

प्राधिकरण की सर्वेक्षण करने की शक्ति

25. (1) प्राधिकरण, इसकी शक्तियों का प्रयोग या इसके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन हेतु, अधिसूचित क्षेत्र के भीतर किसी भूमि या भवन का सर्वेक्षण करवा सकता है तथा उस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी या इस सम्बन्ध में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी स्थानीय प्राधिकरण, कम्पनी या अन्य अभिकरण द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित मामलों हेतु विधिपूर्ण होगा–

(क) से (च) xxxxxx

(छ) सुनिश्चित करना कि क्या हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 5 की उपधारा (7) के अधीन प्रकाशित अन्तिम विकास योजना, या निबन्धन तथा शर्तें, जिनके अधीन हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), के अधीन विकास अनुमत किया गया है, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार किसी भूमि या सम्पत्ति का विकास किया जा रहा है या किया गया है;

(ज) (i) से (ii) xxxxxx

प्राधिकरण की निधियां

33. (1) प्राधिकरण अपनी स्वयं की निधि रखेगा और बनाएं रखेगा जिसमें निम्नलिखत जमा होगा–

(क) से (ग) xxxxxx

(घ) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व नगर निगम, पंचकूला द्वारा संगृहीत और राज्य सरकार के पास जमा धन राशियों का ऐसा हिस्सा जो राज्य सरकार अवधारित करे ;

(ङ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या नगर निगम, पंचकूला से अनुदानों, ऋणों, अग्रिमों या अन्यथा के रूप में प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी धन राशियां ;

(च) से (छ) xxxxxx

प्राधिकरण द्वारा प्राप्पेय प्रभार और उगाही का अधिनियम

42. (1) से (3) xxxxxx

(4) प्राधिकरण, हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 7 की उपधारा (1) तथा (1क) के अधीन भुगतानयोग्य परिवर्तन प्रभार प्राप्त करेगा।

(5) से (7) xxxxxx

अधिनियम का अध्यरोही प्रभाव होना

53. हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निरबंधन अधिनियम 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) और हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियम अधिनियम 1975 (1975 का 8) के उपबन्धों के अध्यधीन, किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात का इससे असंगत होते हुए भी, इस अधिनियम उपबन्धों को अध्यरोही प्रभाव होगा।

11698—H.V.S.—H.G.P., Pkl.